

(2)

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,  
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3-36 / 2015 / 18-5  
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 2015

- |  |   |
|--|---|
| 1. कलेक्टर,<br>जिला इंदौर                        | 2. संयुक्त संचालक<br>नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,<br>इंदौर । |
| 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,<br>जिला पंचायत इंदौर | 4. आयुक्त<br>नगर निगम इंदौर ।                                 |

विषय :—इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत् ।

राज्य शासन ने इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चर्चा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

संचालनालय	संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश	यथोपरि
आपक क्र.....	828
दिनांक.....	17/6/15
शाखा.....	क्रमांक
उपसचिव	उपसचिव
प्रधानमंत्री	प्रधानमंत्री

क्रमांक एफ 3-36 / 2015 / 18-5

(एस के मुदगल)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल दिनांक 15/6 / 2015

प्रतिलिपि :—

आयुक्त—सह—संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

*R*  
22.6.15

ADM(S)

(एस के मुदगल )  
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 15-6-/2015

क्रमांक—एफ—3—36/2015/18—5 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक—1 सन् 2012), की धारा 23—क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।


अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू—उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू—उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम बड़ा बागडंदा	321 (पार्ट), 322(पार्ट), 324(पार्ट), 694(पार्ट), 680(पार्ट), 681(पार्ट), एवं 682(पार्ट) एवं 316 / 3 / 2(पार्ट), 320(पार्ट), 322(पार्ट), 695(पार्ट), 698(पार्ट), 696(पार्ट), 697(पार्ट), 692(पार्ट), 693(पार्ट) एवं 682(पार्ट)	1.008 हेठो  1.118 हेठो	18 मीटर चौड़ा मार्ग  आवासीय	आवासीय  18 मीटर चौड़ा मार्ग  शर्ते— विकास योजना का प्रश्नाधीन 18 मीटर चौड़े मार्ग परिवर्तित रेखाकंन पश्चात् सार्वजनिक मार्ग रहेगा।
		योग—	2.126 हेठो		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्डौर तथा [www.mptownplan.nic.in](http://www.mptownplan.nic.in) वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।


प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति / सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(एस.के.मदगल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
उप सचिव

**Government of Madhya Pradesh**  
**Urban Development And Environment Department**  
**MINISTRY**

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 15-6-15


No. F-3-36/15/18-5 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Indore Development Plan 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

**SCHEDULE**

No.	Village	Khasara No.	Area (in hec)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Gram-Bada Bangarda	321(Part),322(Part), 324(Part),694(Part), 680(Part),681(Part), 682(Part).  and  316 / 3 / 2(Part), 320(Part),322(Part), 695(Part),698(Part), 696(Part),697(Part), 692(Part),693(Part), and 682(Part).	1.008 hec.  1.118 hec.	18 mt wide road  Residential	Residential  18 mt wide road  Condition - 18 mts wide road of Development  Plan shall be of public use after change of allignment.
		<b>Total</b>	2.126 hec.		

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Joint Director, Town and Country Planning, Indore as well as on the web site. **www.mptownplan.nic.in** for a period of 15 days from the date of publication of this notice. Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,



(S.K. Mudgal)

Deputy Secretary  
Government of Madhya Pradesh  
Urban Development And  
Environment Department